

# भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये

रु 10

भारत



TEN  
RUPEES

Rs. 10



A NON JUDICIAL

प्रारूप-26

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

(नियम 4 क देखिए)

09AA 800014


- 5 JAN 2012 विकासनगर निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिये रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथपत्र।

मैं गुरुमेल सिंह पुत्र कबूल सिंह आयु 28 वर्ष जो ग्राम लक्ष्मीपुर, पो0ओ0 पृथ्वीपुर खेडा, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून का निवासी है और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ :-

1- मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किये गये हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी)

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्यायें..... लागू नहीं
- (ii) पुलिस थाना (थाने)..... N.A. जिला या जिले..... राज्य.....
- (iii) संबन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिये अभ्यर्थी आरोपित किया गया है..... N.A.
- (iv) न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गयी है..... N.A.

  
Rajveer Singh Siddhan  
(Advocate)  
VIKASNAGAR (DEHRADUN)



# भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये  
रु.10



TEN  
RUPEES  
Rs.10

ISSUE FROM  
INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

09AA 800015

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किये गये थे .....

-5 JAN 2012

N.A.

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गयी है/हैं.....

लागू नहीं

2 मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप से सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्यायें..... लागू नहीं
- (ii) न्यायालय जिसने दंडित किया है..... N.A.
- (iii) पुलिस थाना (थाने)..... N.A. जिला या जिले..... राज्य.....
- (iv) संबन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिये अभ्यर्थी आरोपित किया गया है..... N.A.
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाये गये थे..... N.A.
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गये हैं..... N.A.

स्थान विकासनगर  
दिनांक 11.01.2012

This affidavit is sworn before me by Shri..... Who is identified by Shri..... at Vikas Nagar on 11.01.12

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

RAMDIP WALIA  
ADVOCATE & NOTARY  
Vikas Nagar, (D. DUNTTA)



# सत्यापन

मैं, ~~अज्ञात~~ अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

स्थान पर आज तारीख 11.1.2012 को सत्यापित किया।  
विकासनगर

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिया जाए।

This affidavit is sworn before me by Shri G. S. G. S. Who is identified by Shri 11.01.12 at Vikas Nagar on 11.01.12

**BANDHIR WALLA**  
Advocate & Notary  
Vikas Nagar (D. DUN)